

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प.6(1)(2)ए.सी.आर./अभि./19/ 4537-92  
प्रेषित:-

दिनांक- 9.4.19


1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. अभियोजन अधिकारी

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर/ए.टी.एस. एण्ड एस.ओ.जी,  
सी.आई.डी.(सी.बी) (पुलिस मु0) जयपुर, /पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर/  
जे.डी.ए. नं.-1 व 2, जयपुर/आर्थिक अपराध, जोधपुर।


विषय:-वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष-2018-19 की पूर्ति बाबत।

प्रसंग:-कार्मिक(क-1/गो.प्र./विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51) का0/  
क-1/गो.प्र./ 08 दिनांक 25.08.2015 एवं कार्मिक (ख-1)  
विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 17 (03) का0/ख-1/17 दिनांक  
26.07.2017 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कार्मिक  
(क-1/गो.प्र./विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)का0/क-1/गो.प्र./08 दिनांक  
25.08.2015 एवं कार्मिक (ख-1)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(03)का0/ख-1/17 दिनांक  
26.07.2017 के परिपत्र अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष-2018-19 की पूर्ति  
कराना सुनिश्चित करें। परिपत्र विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

  
(रमेश कुमार शर्मा)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट  
पर अपलोड करने बाबत।

  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

पत्र क्रमांक: प. 13(51)/का0/क-1/गो.प्र./08

जयपुर, दिनांक 25 AUG 2015

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य सेवा के समस्त सेवारत अधिकारी जिनकी आयु 50 वर्ष एवं इससे अधिक है, की स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशिष्ट परीक्षण/जांचे अनिवार्य रूप से कराई जानी हैं। अतः 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के सेवारत राज्य सेवा के अधिकारी, तीन वर्ष में एक बार, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों अथवा राजकीय चिकित्सालयों से चिकित्सा परीक्षण करवाकर, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदक अधिकारी को वर्ष 2015-16 एवं उसके पश्चात के प्रतिवेदनों के साथ संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:-

क्र.स.	01.04.2015 को आयु	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष	अनिवार्य स्वास्थ्य जांच का वर्ष
1.	वे अधिकारी जिनकी आयु 56 से 59 वर्ष की है।	2015-16	2015-16
2.	वे अधिकारी जिनकी आयु 53 से 56 वर्ष की है।	2016-17	2016-17
3.	वे अधिकारी जिनकी आयु 50 से 53 वर्ष की है।	2017-18	2017-18

2. उपरिवर्णित तालिका अनुरूप समस्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों को निम्नांकित जांचे यथासमय करवाना अनिवार्य होगा:-

S.No.	Investigations under Annual Health Check-up for State service officers.
1	Haemogram (i) CBC (ii) DLC (iii) PBF
2	Urine Examination (i) Colour (ii) Albumin (iii) Sugar (iv) Microscopic Examination
3	Blood Sugar (i) Fasting (ii) Post-prandial (if needed)
4	Lipid Profile (i) Total Cholesterol (ii) HDL Cholesterol (iii) LDL Cholesterol (iv) VLDL Cholesterol (v) Triglycerides
5	Liver Function Tests (i) S.Bilirubin (Total) (ii) S. .Bilirubin (Direct) (iii) SGOT (iv) SGPT

6	Kindney Function Tests (i) Blood Urea (ii) S.Creatinine (iii) S. Uric Acid
7	Cardiac Profile (i) S.LDH (ii) CK-MB (iii) SGOT For Men: PSA (Symptomatic/optional)
8	X-RAY-Chest (optional)
9	ECG
10	USG Abdomen
11	Gynaecological Health Check up (i) Pelvic Examination (ii) Local Examination (iii) Per Vaginum (P/V) (iv) Per Speculurr (v) Surgical Examination (vi) Breast Examination
12	Eye Examination(optinal) (i) Distant Vision (ii) Vision with Glasses (iii) Colour Vision (iv) Tonometry (if needed) (v) Fundus Examination
13	ENT (optinal) (i) Oral Cavity (ii) Nose (iii) Throat (iv) Larynx (v) Hearing Check up
14	Hbs Ag

**Summary of Medical Report (only copy of this part is to be attached to PAR)**

1.	Overall Health of the Officer	
2.	Any other remarks based on the health medical check up of the officer.	
3.	Health Profile grading.	


Date:

Signature of Medical Authority  
Name of Medical Officer  
Designation.

3. उक्त चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क होंगे।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाने के पश्चात किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को जांच रिपोर्ट दिखाई जायेगी। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त जांच कराने की सलाह दी जाती है तो ऐसी जांचों का पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अनुज्ञेय होगा।
5. इन चिकित्सकीय जांचों हेतु अधिकारी को किसी प्रकार का पृथक से विशेष अवकाश व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. अधिकारी की आयु की जांच संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।


7. यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू होगा व चिकित्सा परीक्षण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर से माह जनवरी तक कराया जा सकेगा।
8. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग प्रथम के कॉलम संख्या 6 के बिन्दु संख्या 4 में भी संशोधन कर दिया गया है। कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संशोधित प्रपत्र संलग्न है।

आज्ञा से,

  
(आलोक गुप्ता)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित )
12. प्रशासनिक सुधार (संहिताकरण) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
13. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

  
(अभिमन्यु कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव

अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए प्रपत्र 11 (संदर्भ नियम 7)

वार्षिक कार्य मूल्यांकन (वर्ष .....

भाग-1 (प्रतिवेदित (REPORTEE) अधिकारी के लिए)

सेवा का नाम .....

1. नाम ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि .....
2. जन्म तिथि ..... गृह जिला .....
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद तथा स्थान .....
4. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
5. अवकाश/प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
6. मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन :

कस	मुख्य पारिणामिक कार्य (Key result areas)	निर्धारित लक्ष्य (Targets)	वास्तविक उपलब्धियां (Actual achievements)	उपलब्धियों में कमी का कारण (यदि कोई हो तो) एवं विशेष योगदान
----	---	-------------------------------	--	---

1. प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य

2. प्रमुख विभागीय कार्यों के वित्तीय लक्ष्य

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

3. निरीक्षण

4. मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम

4(क) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण:-

क्या आपने निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण कराया है? हां/नहीं

यदि हां तो दिनांक अंकित करें -

(प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा संलग्न है।)

5 अन्य

टिप्पणी :- यदि विभागीय लक्ष्य नहीं हो तो संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण दिया जाए।

7. प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण (150 शब्दों से अधिक न हो)

प्रतिवेदित के हस्ताक्षर एवं  
नाम व पदनाम

प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत  
किए जाने का दिनांक

(प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा कोई उपाबन्ध संलग्न नहीं किया जाए)

